<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 74/2019

1. बृजलाल पुत्र राम सरूप उर्फ सरूपा राम जाति मेघवंशी निवासी 62 एफ तहसील श्री करणपुर --प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट,</u>

--निर्णय-- **दिनांक : 16.03.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 62 एफ के खाता संख्या 109/80 के मु.न. 15 में 1.299 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता के दो नाम है। घर पर उसे सरूपा राम के नाम से बुलाते थे। और रिकॉर्ड में उसका नाम राम सरूप पुत्र बलू राम है। प्रार्थी के पिता का नाम परिवार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान परिचय पत्र, प्रार्थी की माता के मतदाता पहचान पत्र में लिक्ष्मा पत्नि राम सरूप दर्ज है। प्रार्थी के पिता राम सरूप उर्फ सरूपा राम पुत्र बलू राम जाति मेघवंशी को राजस्थान सरकार द्वारा चक 62 एफ के मु.न. 15 का किला न. 1 ता 10 के 9 बीघा 10 बिस्वा बारानी, किला न. 11 ता 20 के 10 बीघा और 21/1 के 5 बिस्वा नहरी कुल 19 बीघा 5 बिस्वा नहरी बारानी भूमि आवंटित हुई थी। प्रार्थी के पिता राम सरूप उर्फ सरूप राम पुत्र बलूराम को खातेदारी सनद जारी करते समय सरूप राम पुत्र बलूराम के एक नाम से सनद जारी कर दी गयी जबकि प्रार्थी के दो नाम है। प्रार्थी अपने पिता के दोनो नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त कर बैंक से अपनी कृषि भूमि को उन्नत करने के लिए ऋण हेतु गया तो वहां पर बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋण देने से मना करने पर नाम ठीक करवाने को कहा तो प्रार्थी हलका पटवारी से मिला जिसने आपके यहा चाराजोही करने को कहा तो प्रार्थी बिना देरी के प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ के मु.न 15 में प्रार्थी के पिता का नाम सरूपा राम उर्फ राम सरूप पुत्र बलूराम किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9181 दिनांक 10.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चक 62 एफ की जमाबन्दी में मु.न. 15 की 4.995 हैक्टर नहरी भूमि सरूप राम पुत्र बलुराम जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था। जो कि डिक्री ई.स. 471 से बृजलाल पुत्र सरूप राम के नाम 1.199 हैक्टर, ईसर राम पुत्र सरूप राम के नाम 1.299 हैक्टर, तेजा राम पुत्र सरूप राम के नाम 1.299 हैक्टर व जगदीश राम पुत्र सरूप राम के नाम 1.198 हैक्टर दर्ज रिकॉर्ड हुआ। मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई। जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि सरूप राम व राम स्वरूप दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 61/51 में प्रार्थी के पिता का नाम सरूपा राम उर्फ राम सरूप दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थी के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज

यथा मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान सरकार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रार्थी की माता के मतदाता पहचान पत्र में रामस्वरूप अंकित है। प्रार्थी के पिता के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी राम स्वरूप व सरूप राम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्हें मै व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर तथा पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 62 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 61/51 में प्रार्थी का नाम बृजलाल पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल के स्थान पर बृजलाल पुत्र रामस्वरूप उर्फ सरूप राम जाति मेघवाल अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का जारी हो। आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 16:51:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: